फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

संख्या :– 125/2024

सोहनलाल **बनाम** सरकार

...नांक आज्ञा ... कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
...8.05.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। अप्रार्थी सरकार का जवाब प्राप्त हुआ जो संलग्न है। बहस वकील वादी की सुनी गई। वादी ने यह वाद बाबत् नाम दुरस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है। वादीगण विवादित भूमि खाता संख्या नया 157 पुराना 148 के खसरा नंबर 1029, 1030, 1031 कुल किता 3 कुल रकबा 1.10 है0 वाके ग्राम कोटखावदा तहसील कोटखावदा मे वादी व अन्य सहखातेदारों के रिकोर्डेड काबिज काश्तकार होना बताया है। रिकार्ड में वादी का स्वयं का व पिता का नाम सोन्या पुत्र तेज्या दर्ज होना बताया है जबकि उनके वास्तविक नाम सोहन लाल पुत्र तेजा राम दर्ज होना बताया है। प्रार्थी/वादीगणों के इस आशय का शपथ पत्र पेश किया है कि प्रतिवादी सरकार ने जवाब ने जाहिर किया है कि विवादित भूमि मे वारिस काबिज काश्त होना जाहिर किया गया है। उसके उपरान्त राजस्व रिकार्ड में सोन्या पुत्र तेज्या के नाम दर्ज चली आ रही है। अतः जवाब सरकार एवं वादी के शपथ पत्र के आधार पर यह स्वीकार किया जाता है कि वादी का स्वयं का व पिता का नाम सोन्या पुत्र तेज्या एवं सोहन लाल पुत्र तेजा राम एक ही व्यक्ति है। अतः वादी का स्वंय का नाम व वादी के पिता का नाम सोहन लाल पुत्र तेजा राम विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में सोहन लाल पुत्र तेजा राम दर्ज किया जावें। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)	